भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1129

दिनांक 24 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

पंजाब में सरकारी अस्पतालों को सुदृढ़ करना

†1129. डॉ. धर्मवीर गांधीः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार पंजाब में सरकारी अस्पतालों को प्राथमिकता के आधार पर सुदृढ़ करने और निजी स्वास्थ्य सेवा संस्थानों द्वारा लगाए जाने वाले शुल्कों में सख्त विनियमन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) निजी स्वास्थ्य सेवा संस्थानों द्वारा लगाए जाने वाले शुल्कों को विनियमित करने और पंजाब में सरकारी अस्पतालों को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): जन-स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं और इसलिए जन-स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की है। तथापि, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय पंजाब राज्य सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सरकारी अस्पतालों को सुदृढ़ करके जन-स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को बेहतर करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार 'कार्यवाही के अभिलेख' (आरओपी) के रूप में प्रस्ताव को मंजूरी देती है।

सरकार ने आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और जन-स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में आने वाले रोगियों के 'जेब से होने वाले खर्च' (ओओपीई) को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 'मुफ्त औषधि सेवा पहल'(एफडीएसआई) शुरू की है। इसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर 113 औषधियां,

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर 179, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर 301, उप-जिला अस्पताल स्तर पर 318 और जिला अस्पतालों में 381 औषधियां उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता शामिल है।

यह मंत्रालय एनएचएम के तहत 'मुफ्त निदान सेवा पहल' कार्यक्रम का समर्थन करता है जिसका उद्देश्य समुदाय के निकट सुलभ और किफायती पैथोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल निदान सेवाएं प्रदान करना है, जिससे 'जेब से होने वाला खर्च' (ओओपीई) कम हो जाएगा। जन-स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों के सभी स्तरों पर निदान सेवाएं मुफ्त प्रदान की जाती हैं (उप केंद्रों पर 14 जांच, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 63, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 97, उप-जिला अस्पतालों में 111 टेस्ट और जिला अस्पतालों में 134 जांच)।

भारत सरकार ने 'नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010' (सीई अधिनियम) अधिनियमित किया और इसके तहत 'नैदानिक स्थापन (केंद्र सरकार) नियम, 2012' अधिसूचित किए, जिसका उद्देश्य मान्यता प्राप्त चिकित्सा प्रणालियों अर्थात् एलोपैथी, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, होम्योपैथी, सिद्धा और यूनानी चिकित्सा प्रणालियों, या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य चिकित्सा प्रणाली से संबंधित सरकारी और निजी नैदानिक स्थापनों (सशस्त्र बलों के स्थापनों को छोड़कर) के रजिस्ट्रीकरण और विनियमन की व्यवस्था करना है। सीई अधिनियम को अंगीकार करने वाली राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन सीई अधिनियम और उनके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार निजी अस्पतालों सहित अपने अस्पतालों को विनियमित करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं, ताकि रोगियों के लिए किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या का प्रावधान सुनिश्चित किया जा सके। सीई अधिनियम के अनुसार, सभी नैदानिक स्थापनों (सरकारी एवं निजी) को सुविधाओं और सेवाओं के न्यूनतम मानदण्डों की शर्तें पूरा करना और अन्य बातों के साथ-साथ किसी विशिष्ट स्थान पर उनके द्वारा प्रभारित दरों को प्रदर्शित करना आवश्यक है। सीई अधिनियम के अंतर्गत जिला कलैक्टर/जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तर पर एक पंजीकरण प्राधिकरण को शक्तियां प्रदान की गई हैं, ताकि इसके प्रावधानों का उल्लंघन करने के संबंध में शास्तियां लगाने सहित कार्रवाई की जा सके।
